17

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या ....169..... / भू अ० दिनांक : 1/2/2020

चूँकि झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता को यह प्रतीत होता है कि **ग्राम—कजरा, थाना—मधुपुर, थाना सं०—352, अंचल—मधुपुर, जिला—देवघर** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **मधुपुर (सरवन मेन रोड) कजरा से घसको मोड़ भाया बागजोरा बंशटोली बेरहन तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबुतीकरण** हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत् नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि **ग्राम—कजरा, थाना—मधुपुर, थाना सं०—352, अंचल—मधुपुर, जिला—देवघर** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश **0.845** एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है :—

क. स	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11	788	रैयती	धानी—3	0.04	गोबर राणा वो बल्द........	बघजेरा, 351	टंडेरी, 495	कुरूमडीह, 343	चपरा, 353
2	11	789	रैयती	धानी—3	0.04	तथैव।				
3	20	760	रैयती	धानी—2	0.01	जगदीश सिंह वो नारायण सिंह पे० हरगौरी सिंह। (मूल रैयत)				
4	23	78	रैयती	बाडी—2	0.01	टहल चौधरी पे० हंसराज चौधरी। सा० देह। (मूल रैयत)				
5	34	714	रैयती	धानी—3	0.10	पुना चौधरी वो दुलार चौधरी पे० हिरालाल चौधरी। सा० देह। (मूल रैयत)				
6	34	1157	रैयती	धानी—3	0.11	तथैव।				
7	34	1156	रैयती	बाड़ी—2	0.01	तथैव।				
	34	764	रैयती	धानी—1	0.005	तथैव।				
8	37	717	रैयती	धानी—1	0.01	अविनाश चौधरी पे० गंगाधर चौधरी वो मनिष चौधरी पे० स्व० सरयू चौधरी (पौष्यपुत्र) वो महेन्द्र चौधरी वो बिरेन्द्र चौधरी वो मदन चौधरी पे० स्व० बद्री चौधरी वो प्रेम चौधरी पे० स्व० बालेश्वर चौधरी वो भगवत चौधरी वो अजीत चौधरी पे० स्व० रामेश्वर चौधरी वो जयनारायण चौधरी वो तिरथ चौधरी वो शम्भुनाथ चौधरी पे० स्व० औकिल चौधरी वो गणेश चौधरी पे० स्व० धाजो चौधरी वो शालीग्राम चौधरी वो हलधर चौधरी पे० स्व० श्रीनाथ चौधरी वो अशोक चौधरी पे० स्व० दिनेश्वर चौधरी वो मुरारी चौधरी वो मोहन चौधरी पे० स्व० जालेश्वर चौधरी। सा० देह। (मूल रैयत)				

9	37	1046	रैयती	अहरा	0.01	मनिष चौधरी पे० स्व० सरयू चौधरी पोष्यपुत्र (मूल रैयत)।				
10	37	763	रैयती	अहरा	0.10	पूना चौधरी वो दुलार चौधरी पे० हिरामण चौधरी (मूल रैयत)				
11	37	79	रैयती	बांध	0.05	तथैव।				
12	37	443	रैयती	अहरा	0.045	तथैव।				
13	37	791	रैयती	बांध	0.01	तथैव।				
14	37	1124	रैयती	बांध	0.08	तथैव।				
15	38	719	रैयती	बाड़ी–2	0.10	मनिष चौधरी पे० स्व० सरयू चौधरी, पोष्यपुत्र (मूल रैयत) सा० देह।				
16	38	718	रैयती	बाड़ी–2	0.02	तथैव।				
17	42	1047	रैयती	धानी–3	0.02	बुधो चौधरी वो बछनी चौधरी पे० तुलसी वो पावरित चौधरी बल्द बनवारी चोधरी। (मूल रैयत) सा० देह।				
18	42	1048	रैयती	धानी–3	0.02	तथैव।				
19	45	1049	रैयती	धानी–3	0.01	बैनी राणा वो				
20	50	748	रैयती	धानी–2	0.015	मो० मुंगो कुमारी जौजे पारसनाथ चौधरी (मूल रैयत), सा० देह।				
21	50	750	रैयती	धानी–2	0.005	मो० दया कुमारी जौजे हरगौरी चौधरी (मूल रैयत) सा० देह।				
22	54	749	रैयती	धानी–2	0.005	लक्ष्मी चौधरी बल्द........ सा० देह।				
23	63	762	रैयती	धानी–2	0.02	सिरो सिंह बल्द कोदो सिंह वो टिकैत सिंह वो ठाकुर सिंह वो झाणी सिंह पे० बैंकुण्ठ सिंह।(मूल रैयत) सा० देह।				
				कुल रकवा–	**0.845**					

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम–2013 (अधिनियम संख्या 30 / 2013), की धारा–11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार / समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय / विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियॉ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

27/1/20
जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
27/1/20

अपर समाहर्त्ता
देवघर

समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 169 / भू अ०, देवघर, दिनांक 01/02/2020

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित साथ ही अखबार में प्रकाशित अधिसूचना की प्रति जिला भू अर्जन कार्यालय, देवघर में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

27/1/20 जिला भू अर्जन पदाधिकारी देवघर 27/1/20	28-01-2020 अपर समाहर्त्ता देवघर	28/1/2020 समाहर्त्ता–सह–उपायुक्त, देवघर।